राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
टेलीफैक्स 0141–2222403, ईमेल–stp.lsg@rajasthan.gov.inवेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

F.59. STP/DLB/EODB(91)/19/ 4721

Dated 26·03·19

–: आदेश :–

एकीकृत भवन विनियम 2017 प्रावधान 15 निर्माण कार्य के दौरान अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के उपबिन्दु 15.3 के अनुसार निम्नानुसार प्रावधान किये गये है।

"प्लिन्थ तक निर्माण होने तक की सूचना प्राप्त होने के 7 दिवस के अन्दर कम्प्यूटर रेन्डम प्रणाली से चयनित अभियांत्रिकी/नगर नियोजन/राजस्व शाखा के अधिकारियों द्वारा संयुक्त मौका निरीक्षण किया जाकर निर्धारित प्रपत्र में मौका निरीक्षण रिपोर्ट 48 घंटो में तैयार कर कम्प्यूटर पर ऑनलाईन दर्ज की जायेगी। यदि प्लिन्थ का निर्माण भवन विनियमों एवं स्वीकृत भवन मानचित्रों के विपरीत किया जाना पाया जाता है तो संबधित आयुक्त/उपायुक्त द्वारा तीन दिवस में निर्माण कार्य बन्द करवाने की कार्यवाही की जावेगी।"

प्रायः यह देखा गया है कि, भवन निर्माण से संबंधित मौका निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित समय एवं निर्धारित प्रपत्र मे प्रस्तुत नही की जाती है, जिस कारण भवन मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया निर्धारित समयावधि में पूर्ण नही हो पाता है। अतः उक्त के क्रम में एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि भवन निर्माण से संबंधित मौका निरीक्षण रिपोर्ट निरीक्षण हेतु निर्धारित प्रपत्र में ही की जावेगी। यदि किसी निर्माण के संबंध मे शिकायत प्राप्त होती है तो ऐसे प्रकरणों मे मौका निरीक्षण हेतु नगरीय निकाय के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी के द्वारा प्रथक से समिति गठीत कर नियमानुसार विधिवत प्रक्रिया निर्धारित की जावेगी।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

कमांक: एफ 59 STP /DLB /EODB /(91)/19/4722–29 दिनांक:26·03·19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :

1. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, नगर निगम जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
4. क्षैत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग।
   जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्र के अधीन समस्त नगरीय निकायों को सूचित करें।
5. आयुक्त, नगर परिषद, समस्त।
6. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, समस्त।
7. CMAR को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को CMAR की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
8. System analyst cum Joint Director, DLB को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश को स्वायत्त शासन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें

(मुकेश मित्तल)
वरिष्ठ नगर नियोजक
25/3/19

27-Mar-19